हुक्म

29/11/22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण मे प्रार्थी व वकील प्रार्थी को विचलित करने का आवेदन लगाई किन्तु कोई उपस्थित नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना-हानि अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली पुनरीक्षण योग्य नम्बर से कम है।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mallipal Singh
Date: 2023.03.22 18:25:03 IST
Reason: SelfAttested